**भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ**

**फा. सं. 6/52/2024 - डीजीटीआर**

**भारत सरकार**

**वाणिज्य विभाग**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**

**(व्यापार उपचार महानिदेशालय)**

**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001**

**दिनांक : 31 दिसंबर 2024**

**जांच शुरुआत अधिसूचना**

**मामला सं. एडीडी ओआई) - 49/2024**

**विषय : चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सल्फेनामाइड्स एक्सेलरेटर के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।**

1. **फा. सं. 6/52/2024 - डीजीटीआर :** समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियम' कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, एनओसीआईएल लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए सल्फेनामाइड्स एक्सेलेरेटर (जिसे इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'संबद्ध वस्तुएं' अथवा 'पीयूसी' कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

**क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>**

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सल्फेनामाइड्स एक्सेलरेटर है। संभव अंतिम अनुप्रयोगों के आधार पर, भारत में उत्पादित सल्फेनामाइड्स एक्सेलरेटर के चार विभिन्न प्रकार हैं, जो नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं : -

क. सीबीएस - एन-साइक्लोहेक्सिल-2-बेंजोथियाज़ोलसल्फेनामाइड
ख. एनएस - एन-टर्ट-बुटाइल-2-बेंजोथियाज़ोल सल्फेनामाइड
ग. डीसीबीएस - एन,एन'-डाइसाइक्लोहेक्सिल-2-बेंजोथियाज़ोल सल्फेनामाइड
घ. एमओआर - एन-ऑक्सीडाइथिलीन-2-बेंजोथियाज़ोल सल्फेनामाइड

4. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में एमओआर और डीसीबीएस सल्फेनामाइड्स एक्सेलरेटर शामिल नहीं हैं। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में केवल विचाराधीन उत्पाद का सीबीएस और एनएस फॉर्म शामिल है।

5. सल्फेनामाइड एक्सेलरेटर, साइक्लोहेक्सिलामाइन, टर्शियरी-बुटाइलामाइन और डाइ साइक्लोहेक्सिलामाइन जैसे अमीनों के साथ मर्कैप्टो बेन्ज़ोथियाज़ोल के प्रतिक्रिया संबंधी उत्पाद हैं। मर्कैप्टो-बेन्ज़ोथियाज़ोल विभिन्न प्रकार के सल्फेनामाइड एक्सेलरेटर के उत्पादन के लिए अपेक्षित प्रमुख कच्ची सामग्री है।

6. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 38 के अंतर्गत, टैरिफ वर्गीकरण के उप-शीर्षक 3812 के अंतर्गत एचएस कोड 3812 10 00 के तहत वर्गीकृत किया गया है। आवेदक ने कहा है कि उत्पाद को एचएस कोडों - 29215190, 29303000, 29319090, 29342000, 38121000, 38123100 और 38123990 के

तहत आयात किया जाता है। यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

7. आवेदक ने सीबीएस और एनएस को दो अलग-अलग पीसीएन के रूप में प्रस्तावित किया है।

8. वर्तमान जांच में शामिल पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं तथा जांच की शुरुआत होने की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर पीसीएन (औचित्य सहित), यदि कोई हो, करके प्रस्ताव कर सकते हैं। बिना औचित्य के प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

**ख. <u>समान वस्तु</u>**

9. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यात किए गए उत्पादों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है और दोनों ही समान वस्तुएँ हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद आवश्यक उत्पाद विशिष्टताओं जैसे भौतिक एवं रासायनिक विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का बदल बदल कर उपयोग कर सकते हैं और करते रहे हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापन योग्य हैं और इसलिए, नियमों के तहत उन्हें 'समान वस्तु' के रूप में माना जाना चाहिए। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनों के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को *प्रथम दृष्टया* संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

**ग. <u>घरेलू उद्योग और आधार</u>**

10. यह आवेदन एनओसीआईएल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने यह प्रमाणित किया है कि वह नियम 2(ख) के तात्पर्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा भारत में आयातक

से संबद्ध नहीं है। आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। भारत में उत्पाद का एक अन्य उत्पादक है - फिनोरकेम लिमिटेड। प्राधिकारी ने आवेदन के प्राप्त होने के संबंध में उत्पादक को सूचना भेजी थी। निर्माता ने वर्तमान जांच का समर्थन किया है।

11. रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, यह देखा गया है कि भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में आवेदक के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। अत: आवेदक नियम 2(ख) के तात्पर्य से 'घरेलू उद्योग' होता है, और यह आवेदन नियम 5(3) के अनुसार मानदंडों को पूरा करता है।

**घ. <u>संबद्ध देश</u>**

12. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

**ङ. <u>जांच की अवधि</u>**

13. आवेदक द्वारा प्रस्तावित जांच की अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2024 (12 माह) थी। क्षति जांच की अवधि में अप्रैल 2020 - मार्च 2021, अप्रैल 2021 - मार्च 2022, अप्रैल 2022 - मार्च 2023 और जांच की अवधि शामिल थी।

14. प्राधिकारी ने जांच की अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 (जो 15 माह की अवधि है) पर विचार किया है। जांच की अवधि उपयुक्त है, क्योंकि यह बिल्कुल हाल की अवधि है, जो जांच शुरू होने की तारीख से 6 माह के भीतर की है और इसमें घरेलू उद्योग की वित्तीय लेखा अवधि का एक पूरा वर्ष शामिल है। इसके अलावा, विचार की गई अवधि से कोई भी गलत विश्लेषण नहीं होगा। क्षति जांच की अवधि में अप्रैल 2020 - मार्च 2021, अप्रैल 2021 - मार्च 2022, अप्रैल 2022 - मार्च 2023 और 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 तक की अवधि शामिल है।

च. <u>कथित पाटन का आधार</u>

**चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य**

15. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है तथा यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए तथा चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। जब तक कि चीन जन. गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

16. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत के संबंध में डेटा उपलब्ध नहीं है। जिस कीमत पर विचाराधीन उत्पाद को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को बेचा गया है, उस संबंध में, आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद का भारत में एक समर्पित कोड है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसका कोई समर्पित कोड नहीं है और इसीलिए, निर्यात कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता है। अत: आवेदक ने तीसरे देश को अपनी निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। जांच शुरुआत करने के लिए, सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतन योग्य कीमत के आधार पर किया गया है, जिसे उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए समायोजित किया गया है। हितबद्ध पक्षकार आवेदक द्वारा प्रस्तावित कार्यप्रणाली पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

**यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य**

17. आवेदक ने इन देशों के लिए अपनी निर्यात कीमत पर सामान्य मूल्य के आधार के रूप में विचार किया है। जांच शुरुआत करने के लिए, सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसे उचित लाभ मार्जिन को शामिल

करने के लिए समायोजित किया गया है। हितबद्ध पक्षकार आवेदक द्वारा प्रस्तावित कार्यप्रणाली पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

**निर्यात कीमत**

18. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआई एंड एस के लेन-देन वार आंकड़ों में उल्लिखित सीआईएफ कीमत पर विचार करके किया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय और अंतर्देशीय माल भाड़ा व्यय के लिए समायोजन किए जाने का दावा किया गया है।

**पाटन मार्जिन**

19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है, जिससे *प्रथम दृष्टया* यह स्थापित होता है कि संबद्ध देशों से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।

## छ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध का साक्ष्य</u>

20. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने कथित पाटन किए गए आयातों के कारण हुई क्षति के संबंध में *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक की कीमतों पर सकारात्मक कीमत कटौती और कीमत पर दबाव का प्रभाव है। आवेदक वित्तीय हानि और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय के साथ आर्थिक समस्या का सामना कर रहा है। जांच की अवधि में आवेदक का प्रदर्शन कीमत संबंधी मापदंडों में प्रतिकूल रहा है। आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। उत्पाद का पाटन होने से आवेदक को परिचालन का अपेक्षित स्तर प्राप्त करने में रुकावट आई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित किए गए आयातों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य मौजूद हैं।

ज. **पाटनरोधी जांच की शुरुआत**

21. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के चलते घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति और ऐसी क्षति एवं पाटित किए गए आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क की समुचित राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं, जिसे यदि लगाया जाता है तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

झ. **प्रक्रिया**

22. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का अनुसरण किया जाएगा ।

ञ. **सूचना प्रस्तुत करना**

23. सभी पत्राचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते dir14-dgtr@gov.in और jd12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए और साथ ही एक प्रति adv13-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर भी भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुत अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्च योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड फार्मेट में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल फार्मेट में हों।

24. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकार तथा भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को, जो

विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध हैं, अलग से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी संगत सूचना दाखिल कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित फार्मेट और विधि से दाखिल की जानी चाहिए।

25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित फार्मेट और विधि से इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

27. हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें, ताकि उन्हें जांच के संबंध में सूचना और आगे की प्रक्रियाओं की जानकारी रह सके।

## ट. <u>समय सीमा</u>

28. वर्तमान जांच के संबंध में कोई भी सूचना आवेदक द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने या नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नलिखित ईमेल पतों dir14-dgtr@gov.in और jd12-dgtr@gov.in पर भेजी जानी चाहिए और साथ ही एक प्रति adv13-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर भी भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमों के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज किए जा सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस संबंध में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं तथा इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के लिए अपने उत्तरों को दाखिल करें।

30. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारणों दर्शाना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए।

## ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति</u>

31. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

32. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' अथवा 'अगोपनीय' के रूप में अंकन किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को बिना ऐसे अंकनों के प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध पर प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' सूचना के रूप में विचार किया जाएगा, तथा प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान कर सकेंगे।

33. गोपनीय पाठ में ऐसी सभी सूचना शामिल होगी जो स्वभाविक रुप से गोपनीय है और/ अथवा अन्य सूचना, जिसके संबंध में ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। जहां ऐसी सूचना के लिए, जिसके संबंध में स्वभाविक रुप से गोपनीय होने का दावा किया गया है, अथवा जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, वहां सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण का विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

34. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध किया जाना चाहिए अथवा रिक्त स्थान रखा जाना चाहिए (जहां सूचीबद्ध करना संभव नहीं हो) तथा ऐसी सूचना को समुचित रूप से तथा पर्याप्त रूप से संक्षेप में दिया जाना चाहिए, जो उस सूचना पर निर्भर करता है जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

35. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को समुचित रूप से समझने के लिए अगोपनीय सारांश पर्याप्त रूप से विस्तृत होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना सारांश के लिए संवेदनशील नहीं है, और नियमावली 1995 के नियम 7 के संदर्भ में पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण के साथ कारणों का विवरण और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई उचित व्यापार सूचना कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किए जाने चाहिए।

36. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मामलों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

37. नियमावली के नियम 7 के अनुसार सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा पर्याप्त कारण के विवरण के बिना तथा गोपनीयता के दावे पर प्राधिकारी द्वारा जारी समुचित व्यापार सूचना प्रस्तुत किए बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

38. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध समुचित नहीं है अथवा यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।

39. प्राधिकारी प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

**ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>**

40. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

**ड. <u>असहयोग</u>**

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर अथवा इस अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना सुलभ कराने से मना करता है और अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वह उचित समझे।

दर्पण जैन

**(दर्पण जैन)**

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**